रामसहाय बनाम छोट्या
दावा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	2-2-2021 पत्रावली पेश हुई। वादी जीतराम व प्रतिवादी छोट्या मय वकील उपस्थित हैं। पक्षकारों को व इनके अभिभावकगण को सुना गया। दोनों ही पक्षों ने राजीनामा दि० 5-10-2019 के अनुसार दावा निर्णित करने का निवेदन किया है। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 10-2-2021 को पेश हो। 10-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। राजीनामा दि० 5-10-2019 के अनुसार वादी का वाद निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय [illegible] पत्रा० में शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो एवं [illegible] दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

9.2.2011 10-2-2021

रामसहाय पुत्र हीरा, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
1. जौतराम पुत्र रामसहाय, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. कैलाश पुत्र रामसहाय, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
——वादीगण

बनाम

1. छोटया पुत्र स्व. कुंवरपाल, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. श्रीमती जमीला बानो पत्नी इकबाल अहमद जाति खैलदार मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. श्रीमती मिश्री देवी पत्नी रामसहाय, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा , एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि एकीकरण ख0न0 2184 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, ख0न0 2199 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 2203 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा ग्राम उदेईकलॉ तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं रहा है। भू–प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कंवरपाल ने सेटलमेंट कर्मचारियों से साज कर गलत तरीके से वादी की खातेदारी भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। सेटलमेंट की कार्यवाही वादी के विरूद्ध प्रभावशुन्य होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। वादी के कब्जे काश्त की भूमि साबिक ख0नं0 2184 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा के नये ख0नं0 1802 रकबा 26 एयर, ख0नं0 1809 रकबा 24 एयर, साबिक ख0 नं0 2199 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा के नवीन ख0नं0 549 रकबा 66 एयर, ख0नं0 546 रकबा 23 एयर, ख0नं0 568 रकबा 44 एयर तथा साबिक ख0नं0 2203 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा के नवीन ख0नं0 539 रकबा 19 एयर, ख0नं0 539/6417 रकबा 19 एयर कायम किए गए हैं। भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक ख0नं0 2184 से बने नवीन ख0नं0 1809 रकबा 24 एयर को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा शेष रकबा ख0नं0 1802 रकबा 26 एयर को विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कंवरपाल के नाम दर्ज कर दिया। इसी प्रकार साबिक ख0न0 2199 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा से बने हाल ख0नं0 546 रकबा 23 एयर व 568 रकबा 44 एयर वादी की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादी के साबिक ख0नं0 2203 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा से बने हाल ख0नं0 539 रकबा 19 एयर की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कर साबिक ख0नं0 2203 का शेष रकबा हाल ख0नं0 539/6417 रकबा 19 एयर को विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी सं0 1 के पिता कुंवरपाल के नाम दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादी की खातेदारी की भूमि हाल ख0नं0 1802 रकबा 26 एयर, ख0नं0 ख0नं0 549 रकबा 66 एयर, ख0नं0 539/6417 रकबा 19 एयर किता 3 कुल रकबा 1.11 है0 भूमि बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी सं0 1 के पिता कुंवरपाल के नाम दर्ज कर दी है। प्रतिवादी नं0 1 के पिता कुंवरपाल की मृत्यु होने के बाद यह भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई इस कारण भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किए गए गलत इन्द्राज का ज्ञान नहीं रहा तथा इस गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0 1 ने वादी की भूमि ख0नं0 549 रकबा 66 एयर को विधि विरूद्ध तरीके से दि0 11.6.2007 को, हाल ख0नं0 539/6417 रकबा 19 एयर को दिनांक 30.6.2009 को प्रतिवादी सं0 2 को विक्रय कर दिया एवं हाल ख0नं0 1802 रकबा 26 एयर में से 17 एयर रकबा अर्थात ख0नं0 1802 से बने ख0नं0 6938/1802 रकबा 17 एयर का प्रतिवादी सं0 3 को दिनांक 11.6.2007 को बेचान कर दिया। भू-प्रबन्ध विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी की खातेदारी दूसरे के नाम लगाने का अधिकार नहीं है। भू-प्रबन्ध की कार्यवाही एवइनिशिओ नल एण्ड बोइड होने के कारण वादी के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शुन्य एवं बेअसर है। इस बोइड इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में किए गए बेचान दिनांक 11.6.2007 व दि0 30.6.2009 नल एण्ड बोइड होने से उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में किए गए नामान्तरकरण संख्या 1333, 1461, 1333, 1332 निरस्तनीय है तथा वादी भूमि ख0नं0 549 रकबा 66 एयर, ख0नं0 539/6417 रकबा 19 एयर की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने का अधिकारी है। मौके पर वादी साबिक रकबे के अनुसार काबिज काश्त है। दिनांक 16.1.2011 को प्रतिवादी सं0 1 प्रतिवादिया सं0 2 के साथ वादी की भूमि ख0नं0 549, 539/6417 पर आ गए तथा वादी को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने लगे। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी की भूमि साबिक ख0नं0 2199 से बने हाल ख0नं0 549 रकबा 66 एयर व साबिक ख0नं0 2203 से बने हाल ख0नं0 539/6417 रकबा 19 एयर एवं साबिक ख0नं0 2184 से बने हाल ख0नं0 1802 रकबा 17 एयर ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, भूमि का इन्द्राज वादी के नाम किए जाने की डिक्री प्रदान की जावे तथा यह भी घोषित किया जावे कि भूमि ख0नं0 549 रकबा 66 एयर का विक्रय पत्र दिनांक 11.6.2007 व हाल ख0नं0 539/6417 रकबा 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

दिनांक 11.6.2007 प्रतिवादी संख्या 3 के हक में किया गया है वह वादी विरूद्ध प्रभावशुन्य एवं बेअसर है तथा उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर किये गए नामान्तरकरण निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करमाया जावे कि वे वादी को भूमि ख0नं0 549 रकबा 66 एयर, ख0नं0 539/6417 रकबा 19 एयर व ख0नं0 1802 रकबा 17 एयर स्थित ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी के उपयोग उपभोग में व कब्जे काश्त में वादी को किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पान्न नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रतिवादी नं0 1 के पिता ने किसी प्रकार की गलत कार्यवाही नहीं की एवं किसी अन्य की भूमि अपने नाम दर्ज नहीं करवाई। भू-प्रबन्ध विभाग ने भूमि सही प्रकार से खातेदारी में दर्ज की है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 का पिता अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहा। उसके बाद भूमि विरासत में प्रतिवादी नं0 1 व उसकी मां घीसी के नाम दर्ज हुई। घीसी का अब देहावसान हो चुका है। वादी का यह कहना गलत है कि प्रतिवादी सं0 1 के पिता कुंवरपाल की मृत्यु के बाद भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज हो गई इसलिए वादी को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किए गए इन्द्राजात का ज्ञान नहीं रहा। भू-प्रबन्ध का कार्य तो सन् 1982 में ही पूर्ण हो गया था। वादी को इन्द्राजात की जानकारी शुरू से ही रही है। वादी का यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादी ने भूमि गलत रूप से बेचान की है बल्कि प्रतिवादी सं0 1 व उसकी मां घीसी ने विधिवत तरीके से रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों के माध्यम से भूमि का बेचान किया है। जो भी बेचान हुए हैं वे सही हुए हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में उसका कब्जा है। कब्जे के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादपत्र सी0पी0सी0 के आदेश 6 नियम 2 सब रूल 3 के प्रावधान अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें अंको के साथ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। विवादित भूमि पर वादी का कब्जा भी नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी सं0 1 के पिता कुंवरपाल का रहा है एवं उसके बाद प्रतिवादी सं0 1 व उसकी मां घीसी का रहा है तथा भूमि बेचान के बाद खरीददारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार दावा मियाद बाहर है। वादी ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को प्रभावशुन्य व बेअसर घोषित करने हेतु दावा किया है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को प्रभावशुन्य व बेअसर केवल सिविल न्यायालय ही घोषित कर सकती है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

...य की पत्नी है, घरेलू महिला है, उसके पास आय का अन्य कोई ... नहीं है। उसने भूमि प्रतिवादी सं0 1 से खरीदी है जिसके लिए पैसा वादी ने दिया है अर्थात वादी ने ही भूमि बेनामी खरीदी है। रामसहाय कुंवरपाल दोनों खास भाई हैं। इनमें से रामसहाय वादी है जो जीवित है। ...पाल का देहान्त हो गया है। प्रतिवादी सं0 1 कुंवरपाल का पुत्र है। ...सहाय व कुंवरपाल के खेत पास पास रहे हैं। रामसहाय वादी ने भी ...दारी में आए खेत ख0नं0 539 रकबा 19 एयर, ख0नं0 546 रकबा 23 ...र, ख0नं0 568 रकबा 44 एयर कुल रकबा 86 एयर प्रतिवादी सं0 2 ...मती जमीला को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12.6.2007 को बेचान ...या था और तब से ही भूमि पर श्रीमती जमीला का कब्जा चला आ रहा ...। वादी को इसका पूर्ण ज्ञान है। वादी का दावा पूर्णतः गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के साथ वादी ने नकल खतौनी एकीकरण सं0 2019, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, नकल खतौनी भू–प्रबन्ध सं0 2039, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064, नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068, नकल विक्रयपत्र दिनांक 11.6.2007 प्रस्तुत किए हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 4.10.2019 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो पत्रावली मे शामिल किया गया। इस राजीनामे में पक्षकारो ने अंकित किया है कि भूमि ख0न0 2184 से बने हाल ख0नं0 1802 रकबा 9 एयर ग्राम उदेईकलां ब का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ कर दिया जावे। प्रतिवादी सं0 1 वादीगण को भूमि ख0नं0 1802 रकबा 9 एयर के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण मे बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण ने राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वादीगण का वाद व... राजीनामा ... किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 1802 रकबा 0.09 ... ग्राम उदेईकलाँ अ का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ... भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे एवंइसी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स.मा.)

सुमार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत
ौनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल
द के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 10-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested